फर्द अहकाम

न्यायालय SDO जयपुर द्वितीय सांगानेर

सुमन शर्मा बनाम जगदीश

मुकदमा संख्या/वर्ष 134/2017 : /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	24/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते रजि० डाक रसीदें व ट्रेक रिपोर्ट पेश करने हेतु दिनांक 5/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	5/9/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अन्य राज्य कार्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/10/24 को पेश हो।	
	30/10/24	पत्रावली पेश [illegible] अन्य राज्य कार्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/12/24 को पेश हो।	
	6/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0 [illegible] अन्य राज्य कार्य में [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/24 [illegible]	
	18/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0 [illegible] अन्य राज्य कार्य में [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/1/25 को पेश हो।	
	22/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी सं. 1 [illegible] व बावजूद रजि० डाक सूचना अनुपस्थित। प्रति. सं. 1 आदि के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी को बहस सुनी गई। पत्रावली व शामिल रिकार्ड व वकील वादी की बहस का मनन करने पर वाद का वाद डिक्री किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। आ. डि. हो। पत्रावली नियम से नाम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपु

वाद संख्या 134 2017

श्रीमति सुमन शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति
ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज
मकान नम्बर 629–ए, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपु

बनाम

1. जगदीश पुत्र लल्ला जाति हरियाणा ब्राहमण
2. नाथी पत्नी जगदीशनारायण जाति हरियाणा ब्र
3. सुरेश शर्मा उर्फ रामावतार शर्मा पुत्र श्री जग
4. घनश्याम शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा जाति

समस्त निवासीगण ग्राम गोविन्दपुरा, तहसी
राजस्थान।

वाद स्थायी नि

श्रीमानजी,

वादी की ओर से वाद पत्र नि

1. यह है कि वादी की खातेदारी क
रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसर
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836 / 2
नम्बर 847 / 1 रकबा 0.2800
रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसर
हैक्टेयर, कुल किता 6 खसरे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

पत्र : 134 / 2017

दिनांक : 22.1.2025

उनवान

...ति सुमन शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा,
...सील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी मकान नम्बर 629–ए, बरकत नगर,
... फाटक, जयपुर।

बनाम

...दीश पुत्र लल्ला जाति हरियाणा ब्राह्मण — वादी

... पत्नी जगदीशनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण

...श शर्मा उर्फ रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा जाति ब्राह्मण

...निका शर्मा पुत्र भगवान सहायता जाति शर्मा ब्राह्मण

...समस्त निवासीगण ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

...द दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 बावत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 22.01.2025

वादीगण की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा ...बर 832 / 2 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836 / 2 ...कबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847 / 1 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 848 / 1 रकबा 0.0700 ...क्टेयर, खसरा नम्बर 849 / 1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 6 खसरे कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर हिस्सा ...म्पूर्ण ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जो वादग्रस्त ..., जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादी ने अपनी वादग्रस्त भूमि के चारों ओर ...की चारदीवारी तारबंदी मेड, डोल लगा रखी है, वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। वादी के पडौस ...में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 833, 834,897, 898 स्थित थी, जिसे प्रतिवादी संख्या ... व 2 द्वारा हथरोही गढी गृह निर्माण सहकारी समिति को लगभग 9 वर्ष पूर्व बेच दी थी, जहां सहकारी ...समिति ने उक्त भूमि में कृष्णा नगर आवासीय योजना के नाम से कोलोनी विकसित कर दी है, इस प्रकार ...प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वर्तमान में वादी के पडौसी नहीं है, ऐसी स्थिमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी ...की वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ...प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के परिवारजन है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मन में बदनियति आ गयी है ...प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 सस्ते भाव पर वादी की वादग्रस्त भूमि को क्रय करना चाहते है, वादी द्वारा ...वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने से इनकार करने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादी से नाराज हो गये,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उन्होंने वादी को दिनांक 08.11.2017 को ऐलानिया धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादी वादग्रस्त भूमि की चारदीवारी तारबंदी, मेड़, को तहस नहस करके वादी को उसकी वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग, कब्जे काश्त से वंचित कर देंगे, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है, प्रतिवादीगण द्वारा दी गयी धमकी की शिकायत न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस अधीक्षक चाकसू, जयपुर (दक्षिण) को भी कर चुका है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में लगे मेड़, डोल, पक्की चारदीवारी व तारबंदी को न हटावें, वादी के वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधाकारित ना करें। वाद कारण दिनांक 08.11.2017 को वादग्रस्त भूमि की चारदीवारी तारबंदी मेड़, डोल को प्रतिवादीगण द्वारा हटाने की धमकी देने के कारण उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि (जिसका उल्लेख वाद पत्र की मद संख्या 1 में अंकित है) में लगे मेड़, डोल, पक्की चारदीवारी व तारबंदी को न हटावें, वादी के वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधाकारित न करें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलवायें। वाद पत्र का समस्त हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवायें।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध 22.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे बहस वादीगण अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या एक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 832/2 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836/2 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847/1 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 848/1 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 6 खसरे कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि में लगे मेड़, डोल , पक्की चारदीवारी व तारंबन्दी को न हटावें, वादी के वादग्रस्त भूमि के कब्ज़े काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधाकारित ना करे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वाके ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 832/2 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836/2 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847/1 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 848/1 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 6 खसरे कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर का रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)

2 को वादी की वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी पक्षकार की दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित समझते है ।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी कृषि भूमि रा नम्बर 832/2 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर /2 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847/1 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 848/1 रकबा 00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 6 खसरे कुल रकबा 0.96 टेयर स्थित भूमि में प्रतिवादीगाण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वो उक्त वादग्रस्त जी में लगे मेड, डोल , पक्की चारदीवारी व तारंबन्दी को न हटावें, वादी के वादग्रस्त भूमि के कब्जे त, उपयोग, उपभोग में वाधाकारित ना करे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

...अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

...ख्या : 134/2017

उनवान

...मति सुमन शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील ...गानेर, जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी मकान नम्बर 629-ए, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर।

वादी

वनाम

...जगदीश पुत्र लल्ला जाति हरियाणा ब्राहमण

...नाथी पत्नी जगदीशनारायण जाति हरियाणा ब्राहमण

...सुरेश शर्मा उर्फ रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा जाति ब्राह्मण

...मोनिका शर्मा पुत्र भगवान सहायता जाति शर्मा ब्राह्मण

समस्त निवासीगण ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 वावत स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूवरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 832/2 रकवा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835 रकवा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836/2 रकवा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847/1 रकवा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 848/1 रकवा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 6 खसरे कुल रकवा 0.96 हैक्टेयर स्थित भूमि में प्रतिवादीगाण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वो उक्त वादग्रस्त आराजी में लगे मेड, डोल , पक्की चारदीवारी व तारंबन्दी को न हटावें, वादी के वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में वाधाकारित ना करे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2024 को जारी की गई।

दस्तखत ......
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा द्वितीय (सॉगानेर)
जयपुर

मुहर

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
...अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
...वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...वह सबूत			महन्ताना वकील		
...ताना वकील			खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
...स कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...बत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...फरिक					
मीजान			मीजान		

...ट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधि[illegible]री
[illegible]पुर द्वितीय (सं[illegible])